

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर



क. शैक्ष/ग्यारह/शुल्क/2024/2059

प्रेषक,

कुलसचिव,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर.

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर - 492 001
दिनांक.....

03 OCT 2024

// संशोधित अधिसूचना //

एतद् द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 09/05/2024 की निरंतरता में सर्वसंबंधितों को सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि पीएच डी नवीन अध्यादेश क्रमांक 11 एवं डी लिट अध्यादेश क्रमांक 12 के 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील होने के फलस्वरूप जमा किया जाने वाले शुल्क सूची अनुसार निर्धारित किया जाता है। 01 जनवरी 2018 एवं उसके पश्चात् पंजीकृत समस्त पीएच डी शोधार्थी शोध केन्द्र शुल्क के अतिरिक्त छात्र सर्विस शुल्क की निर्धारित राशि रु. 3500/- प्रति सेमेस्टर एवं 1 जनवरी 2024 तथा उसके पश्चात् पंजीकृत होने वाले पीएच डी शोधार्थी छात्र सर्विस शुल्क 4000/- प्रति सेमेस्टर शोधग्रंथ प्रस्तुती के समय विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करावेंगे

कुलपति जी के आदेशानुसार

कुलसचिव

क. शैक्ष/ग्यारह/पीएचडी प्रवेश परीक्षा/2024/2059

दिनांक 03 OCT 2024

प्रतिलिपि :-

- 1 माननीय कुलपति के निज सहायक देवी अहिल्या वि०वि०, इंदौर
- 2 माननीय कुलसचिव के निज सहायक, देअवि.वि., इंदौर
- 3 उपकुलसचिव प्रशासन/गोपनीय, देवी अहिल्या वि०वि०, इंदौर
- 4 विभागाध्यक्ष, आई टी सेंटर देवी अहिल्या वि० वि०, इंदौर की ओर उपरोक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अंकित करने हेतु प्रेषित।
- 5 समस्त संबंधित शोध केन्द्र, अध्ययनशालाओं के विभागाध्यक्ष, देअवि.वि., एवं प्राचार्यगण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

बाबक क्र. 2059
दिनांक 03 OCT 2024
आयक अधिकारी
के हस्ताक्षर

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)